रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16062020-219961
CG-DL-E-16062020-219961

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 204] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 16, 2020/ज्येष्ठ 26, 1942
No. 204] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 16, 2020/JYAISHTHA 26, 1942

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के अधिक्रमण में शासी बोर्ड
अधिसूचना
नई दिल्ली, 15 जून, 2020

सं. भा.आ.प.-12(2)/2020 मेड.विविध/104489.—भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के अधिक्रमण में शासी बोर्ड "चिकित्सा संस्थानों में अध्यापकों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यताएं विनियमावली, 1998" को पुन: संशोधित करने के लिए केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से एतदद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, नामत :-

1. (i) इन विनियमों को "चिकित्सा संस्थानों में अध्यापकों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यताएं (संशोधन) विनियमावली, 2019" कहा जाएगा।

   (ii) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. “चिकित्सा संस्थानोंमें अध्यापकों की न्यूनतमशैक्षिक योग्यताएं विनियमावली, 1998”, में निम्नलिखित **परिवर्धन / संशोधन / विलोप / प्रतिस्थापन** दर्शाए जाएंगे :-

3. रेडियोलॉजिकल फिजिक्स के लिए शैक्षणिक योग्यता को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

(क) प्रोफेसर	(I) एम.एससी. (फिजिक्स) और रेडियोलॉजिकल फिजिक्समेंडिप्लोमा / एम.एससी. (मेडिकल फिजिक्स) या एईआरबी द्वारा मूल रूप में मान्यता प्राप्त कोई भी अन्य स्नातकोत्तर डिग्री / डिप्लोमा योग्यता (II) पीएचडी	प्रथम लेखक के रूप में या तदनुरूपी लेखक के रूप में एसोसिएट प्रोफेसर के कार्यकाल के दौरान कम से कम दो अनुसंधान प्रकाशनों के साथ संचयी आधार पर सूचीबद्ध जर्नल में 4 अनुसंधान प्रकाशनों के साथ किसी अनुमति प्राप्त / अनुमोदित / मान्यताप्राप्त मेडिकल कॉलेज/संस्थान से 3 वर्ष के लिए विषय में एसोसिएट प्रोफेसर
(ख) रीडर / एसोसिएट प्रोफेसर उपर्युक्त को दिनांक 24.07.2009 की अधिसूचना के तहत निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया गया है :- एसोसिएट प्रोफ़ेसर	-वही-	प्रथम लेखक के रूप में या तदनुरूपी लेखक के रूप में सूचीबद्ध जर्नलों में 2 अनुसंधान प्रकाशनों के साथ किसी अनुमतिप्राप्त / अनुमोदित / मान्यताप्राप्त मेडिकल कॉलेज/ संस्थान से 4 वर्ष के लिए विषय में सहायक प्रोफेसर
(ग) सहायक प्रोफेसर / लेक्चरर उपर्युक्त को दिनांक 24.07.2009 की अधिसूचना के तहत निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया गया है :- सहायक प्रोफ़ेसर	एम.एससी. (फिजिक्स) और रेडियोलॉजिकल फिजिक्स में डिप्लोमा / एम.एससी.(मेडिकल फिजिक्स) या एईआरबी द्वारा मूल रूप में मान्यता प्राप्त कोई भी अन्य स्नातकोत्तर डिग्री / डिप्लोमा योग्यता	किसी मान्यता प्राप्त / अनुमोदित मेडिकल कॉलेज से संबंधित विषय में 3 वर्ष जूनियर रेजिडेंट के रूप में और किसी मान्यता प्राप्त / अनुमोदित मेडिकल कॉलेज में संबंधित विषय में वरिष्ठ रेजिडेंट के रूप में एक वर्ष।
(घ) V·;Vj / प्रदर्शक / रेजिडेंट / रजिस्ट्रार	एमबीबीएस / एम.एससी. (भौतिकी) और रेडियोलॉजिकल फिजिक्स / एम.एससी (मेडिकल फिजिक्स) में डिप्लोमा या एईआरबी द्वारा मूल रूप में मान्यता प्राप्त कोई भी अन्य स्नातकोत्तर डिग्री / डिप्लोमा योग्यता	

डॉ. आर.के. वत्स, महासचिव

[विज्ञापन- III/4/असाधारण/60/2020-21]

पाद टिप्पणी: प्रधान विनियमावली, नामत: "चिकित्सा संस्थानों में अध्यापकों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यताएं विनियमावली, 1998" दिनांक 05 दिसंबर, 1998 को भारत के राजपत्र के भाग ।।। खंड (4) में प्रकाशित की गई थी और इसे भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की दिनांक 16/03/2005, 21/07/2009, 28/10/2009, 15/12/2009, 03/11/2010, 08/07/2011, 12/06/2012, 06/09/2012, 01/10/2012, 16/05/2015, 13/07/2016, 11/03/2017, 08/06/2017, 23/01/2018, 01/11/2018, 07/06/2019,16/08/2019 और 18/12/2019 की अधिसूचनाओं के अंतर्गत संशोधित किया गया था।

BOARD OF GOVERNORS

IN SUPERSESSION OF MEDICAL COUNCIL OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th June, 2020

No. MCI-12(2)/2020-Med.Misc./104489.—In exercise of powers conferred by Section 33 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), in Supersession of the Medical Council of India with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following Regulations to further amend the "Minimum Qualifications for Teachers in Medical Institutions Regulations 1998, namely:-

1 (i) These Regulations may be called the "Minimum Qualifications for Teachers in Medical Institutions (Amendment) Regulations, 2019."

(ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the "Minimum Qualification for Teachers in Medical Institutions Regulations, 1998", the following **additions/modifications/deletions/ substitutions**, shall be, as indicated therein:-

3. The academic qualification for Radiological Physics be substituted as under:

(A) Professor	(I) M.Sc. (Physics) and Diploma in Radiological Physics / M.Sc (Medical Physics) or any other post graduate degree/ diploma recognized by AERB as basic qualification. (II) Ph.D.	Associate Professor in the subject for 3 years in a permitted/approved/recognized medical college/institution with 4 Research Publications in Indexed Journal on Cumulative basis with minimum of 2 Research Publications during the tenure of Associate Professor as Ist Author or as corresponding author.
(B) Reader / Associate Professor The above is substituted vide Notification dated 24.07.2009 as under:- Associate Professor	- Do -	As Assistant Professor in the subject for 4 years in a permitted/approved/recognized medical college/institution with 2 Research Publications in Indexed Journals as Ist Author or as corresponding author.
(C) Assistant Professor/ Lecturer The above is substituted vide Notification dated 24.07.2009 as under:- Assistant Professor	M.Sc. (Physics) and Diploma in Radiological Physics / M.Sc (Medical Physics) or any other post graduate degree/diploma recognized by AERB as basic qualification.	3 years Junior Resident in a recognized/permitted medical college in the concerned subject and one year as Senior Resident in the concerned subject in a recognized/Permitted medical college.
(D) Tutor/ Demonstrator/ Resident/	MBBS/ M.Sc. (Physics) and Diploma in Radiological	

Registrar.	Physics / M.Sc (Medical Physics) or any other post graduate degree/diploma recognized by AERB as basic qualification.	

DR. R.K. VATS, Secy. General.

[ADVT. III/4/Exty/60/2020-21]

Footnote: The Principal Regulations namely, "Minimum Qualifications for Teachers in Medical Institutions Regulations 1998" were published in Part- III, Section (4) of the Gazette of India on the 5thDecember, 1998 and amended vide MCI notifications dated 16/03/2005, 21/07/2009, 28/10/2009, 15/12/2009, 03.11.2010, 08.07.2011, 12.06.2012, 06.09.2012, 01.10.2012, 16.05.2015, 13.07.2016, 11.03.2017, 08.06.2017, 23.01.2018, 01.11.2018, 07/06/2019, 16/08/2019 and 18/12/2019

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2020.06.16 20:30:55 +05'30'